निगरानी
डावा -55/22

विमला देवी बनाम रामेश्वर

कार्यालय टिप्पणी

17/10/22 को पेश हुई
उपस्थित दस्तावेज पक्षकारों से बहस हेतु दिनांक 10/11/22 पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

आज दिनांक 10/11/22 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार ... के कारण कार्यवाही ... की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/12/22 को पेश हो।

आज दिनांक 6/12/22 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यवाही ... के कारण कार्यवाही ... की जा सकी। पी.ओ. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश ... अतः ... पूर्वानुसार दिनांक 27/12/22 को पेश हो।

आज दिनांक 27/12/22 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार ... के कारण कार्यवाही ... की जा सकी। पी.ओ. अन्य कार्य ... /अवकाश पर है। अतः ... पूर्वानुसार दिनांक 12/1/23 को पेश हो।

विमला देवी शर्मा
28/12/22

28/12/22 ~~पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई पेश किये जाने पर तिथि पेशी से पूर्व मामला पेश पर~~ ली गई। ~~वकील वादी~~ ... उपस्थित। ...

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सिविल डिवीजन जयपुर महानगर

कार्यालय टिप्पणी

अ वाद
दावा 55/22

उप०। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रॉ करने पेश किया गया। अवलोकन हो। नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। स्वयं वादिया उप०। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादिया वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है वादिया द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अदालत हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित किये गये। जिनकी पहचान वकील वादिया द्वारा की गई। जब स्वयं वादिया अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है तो वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। वादिया का वाद विड्रॉ के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/12/22 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक [illegible]
जयपुर शहर जि०